मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

(विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2009–2010)

मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 14 फरवरी 1977 को राज्य शासन द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 1956 के अन्तर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में की गई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी व प्रदत्त अंशपूँजी क्रमशः 200 लाख व रूपये 80.25 लाख है। संपूर्ण प्रदत्त अंशपूँजी राज्य शासन द्वारा वेष्ठित हैं।

राज्य शासन द्वारा घोषित "औद्योगिक संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना" की कंडिका क्रमांक 4.1.1.2 के परिप्रेक्ष्य में निवेश को प्रात्साहित देने के लिये मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के परिवर्तित स्वरूप में की गई है।

औद्योगिक अधोसंरचना के त्वरित विकास एवं दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में कोरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जिलों में औद्योगिक निवेश को बढ़वा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ट्रायफेक की सहायक कम्पनी के रूप में म.प्र. औद्योगिक केन्द विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का गठन 02.09.2008 में किया गया।

प्रदेश में डीएमआईसी परियोजना हेतु राज्य शासन द्वारा ट्रायफेक को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। ट्रायफेक में पृथक से डीएमआईसी सेल की स्थापना की गई है।

व्यवसाय/गतिविधियाँ :–

निगम द्वारा निम्नलिखित सेवाएं इकाईयों/निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही है :–

- प्रदेश में बड़े उद्योगों विदेशी पूँजी निवेशकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा अधोसंरचना, औद्योगिक एवं अन्य निवेश को आर्षित करने तथा उनके प्रस्तावों को प्रक्रिया के अधीन तुरन्त स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश की निर्यातक इकाईयों को निर्यात से संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन।
- राज्य में निर्यात संवर्धन हेतु सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेंलों में प्रतिनिधित्व/भागादारी

- विपणन सर्वे
- निर्यातकों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास
- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र में विश्वस्तरीय अधोसंरचना का विकास व क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास।
- पी.वी. का गठन किया जायेगा।

उपलब्धिया :–

- मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। इस समिति का गठन 22 जून 2004 को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19–130/2004/1/4 द्वारा किया गया। इस समिति द्वारा अप्रैल 2009 से नवम्बर 2009 तक रूपये 24884.95 करोड़ की 25 परियोजनाओं हेतु क्लियरेंस एवं कस्टमाईज्ड पैकेज स्वीकृत किये गये है।

- सिंगल टेबल क्लियरेंस की अवधरणा के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता मं प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड का गठन किया है, इस बोर्ड की अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009 तक 3 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें रूपये 3428.50 करोड़ की कुल 14 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों की स्थापना मार्ग प्रशस्त हुआ।

- डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स मीड, 2009–10 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 2009 तक मुम्बई व नई दिल्ली में इण्डस्ट्री इन्टरेक्टिव सेशन कर निवेशकों को प्रदेश में निवेश संभावनाओं की जानकारी दी गई।

- मध्य प्रदेश शासन एवं निवेशकों का एक प्रतिनिधि मंडल, डेसिटनेशन मध्यप्रदेश 2009–10 कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2009 को, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, एवं जापान प्रवास पर गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व माननीय मंत्री वाणिज्य, उद्योग रोजगार विभाग द्वारा किया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा सिंगापुर, टोकियों, ब्रिजबेन, सिडनी में रोड शो एवं इन्ट्रेक्टिव सेशन आयोजित किये गये।

- आलोच्य अवधि वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर तक निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत 55 पंजीयन किये गये। योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 10 प्रकरणों में राशि रू. 6,96,72,213.00 विवरित की गई।

- डी.एम.आई.सी. परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में निम्नलिखित 4 डेवलपमेंट नोड चिन्हित किये गये।

  (i) पीथमपुर–धार–महू–इन्वेस्टमेंट रीजन।

  (ii) शाजपुर–देवास इण्डस्ट्रीयल एरिया।

  (iii) रतलाम–नागदा इन्वेस्टमेंट रीजन।

  (iv) नीमच–नयागांव इण्डस्ट्रीयल एरिया।

- डीएमआईसी परियोजना के अंतर्गत त्वरित क्रियान्वयन हेतु निम्नालिखित योजनाओं का चयन किया गया हैं जिसका अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति प्रदत्त है:–

  (i) उज्जैन जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना।

  (ii) इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण (पीथमपुर के निकट)।

  (iii) इंदौर हवाई हड्डे एवं पीथमपुर के मध्य इकॉनामिक कॉरिडोर का निर्माण।

  (iv) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदाय एवं दूषित जल का प्रबंधन

  (v) राजगढ़ जिले में पॉवर इक्यूपमेंट हब की स्थापना।

- उक्त समस्त परियोजनओं को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

निगम की वित्तीय स्थिति :–

1.	प्रदत्त पूँजी	–	रू. 80.25 लाख (समस्त पूंजी राज्य शासन द्वारा वेष्ठित है।)
2.	अधिकृत पूंजी	–	रू. 200 लाख
3.	ऋण	–	रू. 0.00
4.	ऋण इक्विटी अनुपात	–	0.00:1
5.	संचित कोष	–	रू. 664.00 लाख प्रावधिक
			(31 मार्च 2009 की स्थिति में प्रावधिक)

लेखा अंकेक्षण की स्थिति :–

वित्तीय वर्ष 2006–07 के खातों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है व 2007–08 के खाते तैयार है व अंकेक्षणाधीन है। निगम वित्तीय वर्ष 2005–06 तक के लेखे विधान सभा पटल पर रखें जा चुके हैं।

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार) राज्य शासन द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा अपनी सम्पूर्ण गतिविधियां स्वयं के स्त्रोतों तथा बैंकों द्वारा प्रदत्त साख सुविधाओं के आधार पर संचालित की जा रही हैं।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1.	राज्य योजनाएं	निरंक
2.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	निरंक
3.	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	निरंक
4.	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं	निरंक
5.	अन्य योजनाएं	निरंक

भाग–चार

सामान्य प्रशासन विषय
(जांच समितियां किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए)

- कोई जांच समिति गठित नहीं की गई।
- निगम में सूचना का अधिकार लागू किया गया है।
- निगम का नवीन सेटअप तैयार किया जा रहा है।

भाग—पांच

निगम द्वारा निकाले जा रहें प्रकाशन, यदि हों, का उल्लेख किया जाए

आलोच्य वर्ष में की गतिविधियों का तीन ब्रोशर प्रकाशित किया गया है।

भाग—छः

राज्य शासन द्वारा इस निगम की स्थापना प्रदेश के बड़े उद्योगों, विदेशी पूंजी निवेशकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा ओद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा उनके प्रस्तावों को प्रक्रिया के अधीन तुरंत स्वीकृतियां प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

भाग—सात

महिलाओं के लिए किये गये कार्यों के संबंध में पृथक से जानकारी

निगम द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। तद्नुसार इस संबंध में सूचना पटल पर भी जानकारी लगाई गई है। समिति को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित,

मुख्यमहाप्रबंधक